

रजिस्ट्री सं. डी. 33004/99

REGD. No. D.L-33004/99

भारत का राजपत्र

THE GAZETTE OF INDIA

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III - खण्ड 4
PART III - Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] No.65]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2013/ फाल्गुन 13, 1934 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2013/PHALGUANA 13, 1934
-------------------	---

तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013

सं. 2/5/2011-ई.पी (कृषि-VI). - तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 33 की उप-धारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19 सितम्बर, 2002 को भारत के राजपत्र भाग III खण्ड 4 में 8/4/98-ईपी. (कृषि-VI) एतद्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2002 को निरस्त करते हुए, उनके अतिरिक्त, जिनका परिवर्धन अथवा विलोपन अपरोक्त से पूर्व किया जाना हो, तम्बाकू बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम, जिसका केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, बनाता है:-

- (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (क) इन विनियमों को तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013 कहा जाएगा।
(ख) उपरोक्त विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (2) **परिभाषाएँ** -- इन विनियमों में, जब तक अन्यथा परिभाषित नहीं किया जाए, निम्नलिखित साधारण रूप में व्यवहृत किए जाएंगे।
 - (क) "बोर्ड" तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 के तहत गठित तम्बाकू बोर्ड
 - (ख) **बोर्ड कर्मचारी**—तम्बाकू अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत नियुक्त अध्यक्ष, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त कार्यकारी निदेशक, धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त सचिव और बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के अतिरिक्त बोर्ड में कार्यरत अन्य सभी व्यक्ति ।
 - (ग) **वेतन**. - केन्द्र सरकार के मूलभूत नियम और अनुपूरक नियमों में परिभाषित वेतन/ परिलब्धियां ।
 - (घ) **पदों का वर्गीकरण** --
 - (अ) **वरिष्ठ प्रबंधन स्तर**.—वे सभी पद, जो अधिकतम रु.39,100 के पे.बैंड अथवा अधिक में आते हों।
 - (ब) **माध्यमिक प्रबंधन स्तर**.—वे सभी पद, जिनका पे बैंड अधिकतम रु. 34,800 हो किन्तु अधिकतम पे.बैंड 39,099 रु. से कम हो।

- (ड.) नियुक्ति प्राधिकारी :- बोर्ड के कर्मचारियों के संदर्भ में नियुक्ति हेतु अधिकार प्राप्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की शक्तियों का विवरण इस प्रकार है:-

अध्यक्ष :- वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के वे अधिकारी जिनका पे.बैण्ड का अधिकतम रु. 39,100 प्रतिमाह से अधिक न हो, और बोर्ड के अनुमोदन एवं केन्द्र सरकार से पूर्व परामर्श के साथ वे तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद जिनका पे.बैण्ड को अधिकतम रु. 39,100 प्रतिमाह से अधिक हो एवं माध्यमिक प्रबंधन स्तर के पद:

कार्यकारी निदेशक:- कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के पद अध्यक्ष की प्राधिकारिक शक्तियों के अनुरूप।

- (घ) अनुसूची :- इन विनियमों की अनुसूची ।

- (छ) सेवा :- बोर्ड में की गई सेवा ।

- (ज) सीधी भर्ती :- रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों के नाम मांगाकर अथवा विज्ञापन द्वारा प्रार्थना पत्र मांगा कर अथवा बोर्ड के उपयुक्त योग्य कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र पर विचार कर की गई भर्ती।

अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड की दृष्टि में यदि आवश्यक हो तो सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती हैं। इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती बोर्ड कर्मचारी भर्ती के लिए सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए माने जाएंगे और केन्द्र सरकार द्वारा पिछली सेवा के लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत व्यवहृत किए जाएंगे।

- (झ) प्रतिनियुक्ति:- केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं को उधार लेना।

- (ट) सरकार: केन्द्र सरकार

- (3) अनुप्रयोग :- ये विनियम अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, सचिव और केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पद के अतिरिक्त विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी पदों के लिए अनुप्रयुक्त होंगे।

- (4) प्रारम्भिक विधान :- इन विनियमों के प्रारम्भ की तारीख को इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्धारित पदों को नियमित आधार पर ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत अनयुक्त माने जाएंगे और उनके द्वारा की गई अब तक की लगातार सेवा उसी ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए गिनी जाएगी।

- (5) अनहर्ताए :- कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति हेतु अनर्ह होगा, यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसका पति अथवा पत्नी पहले से जीवित हो

- (ख) जो जीवित पति अथवा पत्नी के होते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर चुका हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो
- यदि सरकार इस तथ्य से सन्तुष्ट है कि उस व्यक्ति एवं अन्य पक्ष पर लागू होने वाले निजी कानून में ऐसा विवाह को अनुमति प्रदान की गई है और कि ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो ऐसे व्यक्ति का इस नियम के लागू हो से छूट प्रदान की जा सकती है।
- (6) बोर्ड के किसी भी ग्रेड के कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
- (7) यदि विभागीय समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए किसी कनिष्ठ, जिसने पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के नाम पर विचार किया जा रहा है, वहां, उस ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी अधिकारियों भले ही उन्होंने अपेक्षित सेवा पूरी नहीं की हो, के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्त कि उन्होंने ग्रेड में निर्धारित परिवीक्षा, यदि कोई हो, को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया हो और सतर्कता के दृष्टिकोण से किसी भी आरोप से मुक्त हों।
- (8) परिवीक्षा की अवधि : सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति अनुसूची में दी गई अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।
- (9) परिवीक्षा की अवधि का पूरा होना अथवा सेवा समाप्ति
- (क) कार्य अथवा आचरण के पद के अनुरूप संतोषजनक न जाए पाने पर नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षाधीन कर्मों की परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है। उन पदों के अतिरिक्त जिन पर भर्ती केन्द्र सरकार के पूर्व परामर्श द्वारा की गई हो, नियुक्ति प्राधिकारी किसी परिवीक्षाधीन कर्मों के कार्य अथवा आचरण को पद के अनुरूप संतोषजनक न पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि की बढ़ी हुई अवधि के पश्चात् भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मों की सेवाएं समाप्त कर सकता है अथवा बोर्ड के कर्मचारी के पुनः उसके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है।
- (ख) उन पदों के अतिरिक्त, जिन के लिए भर्ती हेतु केन्द्र सरकार से पूर्व परामर्श किया गया हो अन्य सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए व्यक्ति का आचरण एवं कार्य यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा परिवीक्षा अवधि की बढ़ी हुई अवधि के दौरान पर के अनुरूप संतोषजनक पाया गया हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त अवधि के समापन के पश्चात् यथाशीघ्र घोषित करेगा कि उस व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है और उसे पद पर स्थायी करेगा।
- (10) स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र : सेवा में भर्ती के समय वरिष्ठ प्रबंधन स्तर और माध्यमिक प्रबंधन स्तर के पदों पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को सिविल सर्जन पद के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तथा कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के पद पर नियुक्त व्यक्ति को सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देना होगा।
- (11) पेंशन लाभ: बोर्ड के कर्मचारी केन्द्र सरकार के समय-समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के लाभों के अधिकारी होंगे।
- (12) निश्चित वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, छूट आदि : इन विनियमों का कोई भी भाग अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, उन अन्य पिछड़ वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अंतर्गत अनुमन्य आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को विपरीत रूप से प्रमाणित नहीं करेगा।

- (13) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन: अध्यक्ष विभिन्न वर्गों के बोर्ड कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु अनुसूचियों अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करेगा।
- (14) अन्य सेवा शर्तें: उन विषयों पर, जिन पर इन विनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, बोर्ड कर्मियों की सेवा शर्तें उसी वर्ग के केन्द्र सरकार के कर्मियों के समान होंगी। अद्यपि, बोर्ड में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा अनुसूची में इंगित आयु होगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। बोर्ड के कर्मचारियों के आचरण एवं अनुशासनिक संबंधी मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत लागू होंगे।
- (15) पदों का सृजन : बोर्ड का अध्यक्ष अथवा बोर्ड तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 6 की उपधारा 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) नियम, 1984 के विनियम 15 एवं केन्द्र सरकार की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियमों के अनुसार पदों के सृजन हेतु सक्षम है।
- (16) सामान्य : बोर्ड के कर्मचारी सेवा शर्तों एवं अन्य शर्तों के लिए तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबंधों, उनके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों और बोर्ड अथवा केन्द्र सरकार द्वारा लागू अन्य शर्तों के अधीन होंगे।
- (17) शिथिल करने की शक्ति : जहां अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है वहां वह, उसके लिए कारणों को लेख बद्ध कर के और केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इन विनियमों के प्रावधानों/ किसी एक प्रावधान में छूट प्रदान कर सकता है।

तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर
तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013
अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे.बैण्ड और ग्रेड पेय सवेल	चुनाव पर अथवा गैर चुनाव पर
1	2	3	4	5
क्षेत्रीय प्रबंधक	8	वरिष्ठ स्तर प्रबंधन तकनीकी	पे.बैण्ड -3 15,600-34,150 ग्रेड पेय 6600/-	चयन
सेवा से जुड़े वर्षों का लाभ सी सी स (पेंशन), नियम 1972 के नियम 32 के अधीन स्वीकार्य है अथवा नहीं		सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	
			सीधी भर्ती में लागू आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति में लागू होगी अथवा नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
6	7	8	9	10
लागू नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं ।	(क) कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि (ख) तम्बाकू उत्पादन, प्रसार, विणन एवं बाजार शोध, तम्बाकू नीलामी का क्रियांवन में 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 3 वर्ष का अनुभव न्यूनतम पर्यवेक्षक के रूप में होना चाहिए।	आयु नहीं शैक्षिक अर्हता नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/ सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति /स्थान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशता	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	
11	12	13	14	
पदोन्नीत द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>1. प्रोन्नति: नीलामी अधीक्षक/ वरिष्ठ ग्रेडिंग अधिकारी, पद पर 5 वर्ष की सतत् सेवा के साथ प्रोन्नति हेतु वरिष्ठता का निर्धारण नीलामी अधीक्षक और वरिष्ठ ग्रेडिंग अधिकारी के रूप में कुल की गई सेवा के योग से किया जाएगा।</p> <p>2. प्रतिनियुक्ति : केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में सहश्रय पद पर कार्यरत ग्रेड पे. में न्यूनतम 5 वर्ष तक सेवारत रहे कर्मियों से, जो कालम 8 में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी हेतु विनिर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखता हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p>	<p>1. अध्यक्ष - अध्यक्ष</p> <p>2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य</p> <p>3. निदेशक स्तर के 2 अधिकारी वाहय जिनमें से 1 अधिकारी अनुसूचित जनजाति का हो - सदस्य</p>	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
2. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर, गैर तकनीक	चयन पे.बैंड 3 रू. 15,600- 39,100 ग्रे.पे.6600	चयन लागू
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: उप प्रबंधक (लेखा)/ सहायक प्रबंधक लेखा या उसके सदस्य पर मैं न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा/ प्रोन्नति हेतु वरिष्ठता का निर्धारण उप प्रबंधक (लेखा)/ सहायक प्रबंधक (लेखा) के रूप में की गई कुल सेवा के योग के आधार पर किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति: भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सहश्व के लेखा परीक्षा अधिकारियों/लेखा अधिकारियों उपक्रम अथवा केन्द्र/ राज्य के स्वायत्तशासी निकाय में समकक्ष पद में कार्यरत लेखा परीक्षा अधिकारियों/ लेखा अधिकारियों में से अथवा 15600-39,100 पे.बैंड में 5400 में 7 वर्ष की सतत् सेवा करने वाले लेखा परीक्षा अधिकारियों/ लेखा अधिकारियों में से, (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. निदेशक स्तर के 2 बाह्य अधिकारी जिनमें से 1 अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो - सदस्य	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
3. प्रबंधक (व्यापार)	1	वरिष्ठ स्तर, गैर- तकनीक	पे.बैंड 3 15,600- 39,100 ग्रेड पे. 6600	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	चालीस (40) वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य (1) वाणिज्य अथवा कृषि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि (2) तम्बाकू के घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष पर्यवेक्षक/ निरीक्षक स्तर पर कार्य किया हो	नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. निदेशक स्तर के 2 बाह्य अधिकारी जिनमें से 1 अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो - सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
4. नीलामी अधीक्षक/ सीनियर ग्रेडिंग अधिकारी	55	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर, तकनीक	पे.बैंड 3 15,600-39,500 ग्रेड पे.5,400	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति उन फील्ड अधिकारियों/तकनीक सहायक, जिन्होंने न्यूनतम 8 वर्ष की सतत सेवा ग्रेड की हो, में से प्रतिनियुक्ति: केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय अथवा राज्य के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	

	के उन अधिकारियों से (i) जो सहश्य पर नियमित रूप से धारित करते हैं अथवा (ii) न्यूनतम 8 वर्षों से 9300-4800 पे बे. में 4200 ग्रेड पे. में कार्यरत हो (2) तम्बाकू के उत्पादन/ प्रसार/ विपणन और विपणन शोध और तम्बाकू नीलामी संचालित करने का अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष की होगी।)			
1	2	3	4	5
5.उप प्रबंधक (लेखा)	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर-तकनीक	पे.बैंड 3 15,600-39,100 ग्रेड पे. 5,400	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति : अधीक्षक/ लेखाकार अथवा समकक्ष पद पर 4200 ग्रेड पे. पर 8 वर्ष की सतत् एवं नियमित सेवा करने वाले कर्मियों से प्रतिनियुक्ति : भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के लेखा परीक्षकों/ लेखा अधिकारियों से अथवा लेखा/ लेखा परीक्षा अधिकारी जो केन्द्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक निकायों में सहश्य ग्रेड पे. आहरित कर रहे हो, से (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
6 सहायक प्रबंधक (लेखा)	33	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर-तकनीक	पे.बैंड 3 15,600-39,100 ग्रेड पे.5,400	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नीत : अधीक्षक/लेखाकार अथवा सदस्य पद पर 4200 ग्रेड पे. पर 8 वर्ष की सतत् एवं नियमित सेवा करने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति : केन्द्र / राज्य सरकार, केन्द्र/राज्य सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायत्त निकायों के उन अधिकारियों से 1(क) जो सदस्य पद नियमित रूप से धारित करते हो अथवा (ख) 4200 ग्रेड पे. व पे.बैंड-2 में 8 वर्ष की नियमित एक सतत् सेवा की हो 2. प्रशासन स्थापना एवं लेखा मामलों की जानकारी हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
7. सांख्यिकी अधिकारी	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर तकनीक	पे.बैंड 3 15,600-39,100 ग्रेड पे.5,400	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: सांख्यिकी अथवा गणित अथवा वाणिज्यिक अर्थशास्त्र में परस्नातक उपाधि। वांछनीय: आंकड़ा संग्रहण व विश्लेषण में 3 वर्ष का अनुभव भारतीय सांख्यिकी संस्थान अथवा भारतीय कृषि सांख्यिकी की शोध	आयु नहीं योग्यता नहीं	दो वर्ष

		संस्थान का डिप्लोमा धारित ।		
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: वरिष्ठ अन्वेषक जो ग्रेड में नियमित आधार पर 8 वर्ष की सेवा कर चुके हों	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
अध्यक्ष की निजी सचिव	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4600	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: तीन वर्ष की नियमित सेवा करे हुए आशुलिपिक (ग्रेड-1) अधिकारियों में से	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
9. क्षेत्र अधिकारी/ तकनीक सहायक	88	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4200	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि वांछनीय: तम्बाकू रोपण व संस्तर जानकारी	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता: नहीं	सीधी भर्ती से चयनित कर्मियों हेतु 2 वर्ष
11	12	13	14	
पदोन्नति एवं सीधी भर्ती 1:1 के अनुपात में	पदोन्नति: दस वर्ष की नियमित सेवा वाले क्षेत्र सहायकों से	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
10.अधीक्षक/ लेखाकार	33	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4200	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
पदोन्नति व सीधी भर्ती पदोन्नति व सीधी भर्ती में नियुक्त का अनुपात 2 : 1 होगा	पदोन्नति : (क) 90% तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक, जिनके उपलब्ध न होने पर ऐसे सहायक जिनकी सहायक एवं उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में सम्मिलित सेवा न्यूनतम 10 वर्ष की हो। (ख) 10% तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड (ii), जिनके उपलब्ध न होने पर ऐसे आशुलिपिक ग्रेड (iii) जिसकी आशुलिपिक ग्रेड iii एवं आशुलिपिक ग्रेड ii के रूप में सम्मिलित सेवा न्यूनतम 10 वर्ष की हो।	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
11. वरिष्ठ अन्वेषक	1	मध्य प्रबन्धन स्तर तकनीक	पे.बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4200	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा जिसने न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति: ग्रेड में 3 वर्ष की नियुक्ति सेवा करने वाले सांख्यिकी सहायकों में से प्रतिनियुक्ति: तीन वर्ष तक सदस्य पद धारित करने वाले अधिकारियों से	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4.अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
12. वरिष्ठ अनुवादक	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4200	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं	<p>अनिवार्य:1 (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो हिन्दी/ अंग्रेजी में अथवा</p> <p>तथा अंग्रेजी/ हिन्दी स्नातक स्तर पर अनिवार्य/ ऐच्छिक विषय के रूप में रहा हो</p> <p>(ख) हिन्दी/अंग्रेजी से इतर किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी में से कोई एक विषय के रूप में एवं इसका परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो</p> <p>(ग) हिन्दी अंग्रेजी से इतर अथवा किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो तथा स्नातक स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी से कोई एक विषय के रूप में और इसका परीक्षा माध्यम के रूप में रहा हो और</p> <p>2. हिन्दी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में कोई मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र/डिप्लोमा</p> <p>वांछनीय: अंग्रेजी से हिन्दी व हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की योग्यता ।</p>		

11	12	13	14	
सीधी भर्ती	लागू नहीं	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
13. सांख्यिकी सहायक	1	मध्य प्रबन्धन स्तर तकनीक	पे. बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4200	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनविार्य: (क) सांख्यिकी में स्नातक उपाधि अथवा गणित/ अर्थशास्त्र/ वाणिज्य में पर्चे/विषय में रूप में स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण में 3 वर्ष का अनुभव वांछनीय: भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अथवा भारतीय कृषि सांख्यिकी शोध संस्थान से डिप्लोमा	नहीं	सीधी भर्ती वालों हेतु 2 वर्ष
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: दस वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, जो गणित अथवा सांख्यिकी में स्नातक उपाधि रखते हो प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्र / राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो सट्टा पद पर हो और 3 वर्ष का अनुभव रखते हो प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष की होगी।	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2. कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
14. सहायक	13	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4200	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं	(1) विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (2) प्रशासन, लेखा क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता: नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: दस वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिकों में से	1.कार्यकारी निदेशक 2.अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
15. आशुलिपिक (ग्रेड-II)	3	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 2 9,300-34,800 ग्रेड पे.4,200	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसे स्नातक उपाधि 2. तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	आयु:नहीं शैक्षणिक योग्यता: नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	उन आशुलिपि (ग्रेड-III) में से जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड में की हो तथा दक्षता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में 40 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो।	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
16. उच्च श्रेणी लिपिक रोकडिया	43	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 1 5,200-20,200	गैर चयन

			ग्रेड पे.2,400	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	अवर श्रेणी लिपिक/हिन्दी टंकक जिन्होंने 8 वर्षतक नियमित सेवा की हो। अवर श्रेणी लिपिक एवं हिन्दी टंकक की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी ग्रेड में प्रविष्टि की तिथि से होगा।	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
17. आशुलिपिक (ग्रेड-III)	4	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.2,400	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: (1) 10+2 अथवा समकक्ष (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	लागू नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	(केवल स्थायीकरण हेतु) 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
18. अवर श्रेणी लिपिक	52	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.1,900	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: 1. 10+2 अथवा समकक्ष	आयु:नहीं शैक्षणिक योग्यता: नहीं	दो वर्ष

		2. तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड टंकण परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो। वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि		
11	12	13	14	
सीधी भर्ती और प्रोन्नति 3 एवं 1 के अनुपात में	प्रोन्नति: 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. अर्ह अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियों सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र होंगे।	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
19. क्षेत्र सहायक	158	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.1,900	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: 1. 10+2 अथवा समकक्ष 2. तम्बाकू रोपण एवं ग्रेडिंग का ज्ञान वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	आयु: नहीं शैक्षणिक योग्यता: नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
सीधी भर्ती और प्रदोन्नति 3 एवं 1 के अनुपात में	प्रोन्नति: 1. शैक्षणिक योग्यता प्राप्त बहु-उद्देश्यीय कर्मियों, जिन्होंने पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो, में से। यदि अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, रिक्तियों सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
20. चालक (साधारण ग्रेड)	10	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.1,900	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: 1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 2. हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। 3. हल्के मोटर वाहन चलाने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो।	आयु:नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती में 1:1 के अनुपात द्वारा यदि उपयुक्त विभागीय कर्मी उपलब्ध न होने पर प्रोन्नति कोटा के पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।	नियमित बहु-उद्देशीय कर्मियों में से इच्छुक अभ्यर्थियों का कार चालन में दक्षता परीक्षण होगा। दक्षता परीक्षण में स्टाफ कार चालन हेतु मानक पूरे करने वाले अभ्यर्थियों से प्रोन्नति कोटा पूरित किया जाएगा।	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
21. गेस्टेटर प्रचालक	1	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर, गैर तकनीक	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.1,900	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा वाले उन बहु-उद्देशीय कर्मियों से, जिन्हें गेस्टेटर मशीन के प्रचालन में दक्षता प्राप्त हो।	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
22. बहु-उद्देशीय कर्मी	140	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.1,800	लागू नहीं

6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	लागू नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
23. वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	45	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.2,400	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति उन सहायकों से जिन्होंने संबद्ध ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
24. हिन्दी टंकक	2	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 2 5,200-20,200 ग्रेड पे.1,900	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: 12+2 अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, हिन्दी टंकण की गति 25 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य हैं। वांछनीय: 1. तकनीक शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किया हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	उन नियमित बहु-उद्देशीय कर्मियों से जो कॉलम 8 में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएँ रखते हैं।	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
25. पद्धति विश्लेषक	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर तकनीक	पे.बैंड 3 15,600-39,100 ग्रेड पे.5,400	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: 1.सांख्यिकी/गणित(सांख्यिकी)/ ऑपरेशन रिसर्च/भौतिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित)/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री 2. डाटा प्रासेसिंग का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 1 वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। वांछनीय: 1. इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या उल्लिखित किसी भी विषय में डॉक्टोरल डिग्री। 2.कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/ सिस्टम / डिजाइन / विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण। 3. एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान भर्ती के समय उल्लेख किया जाए।	आयु: नहीं शैक्षाविक योग्यता - हॉ	दो वर्ष
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोग्रामर के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा वाले अभ्यर्थियों में से।	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
26. प्रोग्रामर	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9,300-34,800 ग्रेड पे.4,800	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: गणित/सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च/वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि तथा कम्प्यूटर का ज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा न्यूनतम 3 वर्ष का संबंधित अनुभव	लागू नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	(केवल स्थायीकरण हेतु) 1. अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
27. निदेशक (नीलामी)	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर प्रतिनियुक्ति पद	पे.बैंड 3 15,600-39,100 ग्रेड पे.7,600	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
गैर-सी.एस.स.पद के तहत प्रतिनियुक्ति। भारत सरकार के वे उप-सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी जो सी.एस.एस. (केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम) के तहत भारत सरकार में उप सचिव /निदेशक स्तर पर नियुक्ति हेतु अर्ह हैं, इस पर गैर-सी.एस.एस. के नियुक्त किए जा सकते हैं।	नियुक्ति भारत सरकार के उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों में से सी.एस.बी. द्वारा की जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि 4/4 वर्ष है।	भारत सरकार के नियमों के तहत सी.एस.बी. द्वारा	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
28. हिन्दी अधिकारी	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9,300-34,800 ग्रेड पे.4600	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: 1. हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भी एक विषय रहा हो अथवा स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर या समकक्ष अथवा किसी विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष (हिन्दी माध्यम से) तथा स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय रहा हो अथवा अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एवं विषय रहा हो 2. हिन्दी में शब्दावली कार्य/अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद में 5 वर्ष का अनुभव। अनुवाद वरीयतः तकनीक या वैज्ञानिक साहित्य में होना चाहिए। या हिन्दी अध्यापन, शोध/प्रवक्तृकारिता में 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय: (1) संस्कृत और / अथवा तेलुगू भाषा का ज्ञान। (2) प्रशासनिक अनुभव (3) प्रारूपण व टिप्पण अथवा हिन्दी कक्षा/कार्यशाला आयोजन का अनुभव	लागू नहीं	दो वर्ष (सीधी भर्ती वालों हेतु)
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	प्रोन्नति: तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ अनुवादकों में से। प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार/राज्य	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति	लागू नहीं	

द्वारा	सरकार/स्वायत्तशासी संस्थान के वे अधिकारी जो सहश्य पद धारित करते हो अथवा 4200 ग्रेड पे में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो तथा कालम 8 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु सभी अहताएं रखते हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष अधिक नहीं होगी।	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
29.संगणक प्रचालक (ग्रेड-बी)	27	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.2,800	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 2. टंकण का ज्ञान 3. कम्प्यूटर पर 8000 कुंजी प्रसरण / प्रति घंटा की गति वांछनीय: (1) (2)	आयु नहीं योग्यता: हाँ	दो वर्ष
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: निर्धारित अर्हता धारित करने वाले श्रेणी लिपिकों / क्षेत्र सहायकों में से	(स्थायीकरण हेतु) 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
30. केयर टेकर	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 2 9,300-34,800 ग्रेड पे.4,200	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त	लागू नहीं	लागू नहीं	

	<p>शासी निकायों के अधिकारी जो</p> <p>(क) नियमित आधार पर सदृश्य पर हो अथवा नियमित आधार पर पे.बैंड-1 में 5,200-20,200 के स्केल में 2400 ग्रेड पे में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>(ख) जिन्हें केयर टेकिंग जैसे सफाई, अग्नि सुरक्षा, फर्नीचर तथा फर्निशिंग सहित कार्यालय भवन की देख भाल कार्यालय उपस्कर तथा उपकरणों का रखरखाव, बैठकों तथा सम्मेलनों की व्यवस्था, समूह "घ" तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के प्रबंधन का अनुभव हों।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा या सिविल अभियंत्रण में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
1	2	3	4	5
31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-1)	11	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.2,800	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति: 1. 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-11) प्रोन्नति द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।</p> <p>(2) (1) द्वारा निर्धारित संख्या में रिक्त पूर्ति न होने पर 13 वर्ष की नियमित सेवा वाले वे स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) जो बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, प्रोन्नति किए जा सकते हैं।</p>	<p>1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव-सदस्य</p> <p>3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य</p>	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
32. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)	10	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 1 5,200-20,200 ग्रेड पे.2,400	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	8 वर्ष की नियमित सेवा वाले उन स्टाफ कार चालक साधारण ग्रेड में से जो बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
33. विशेष ग्रेड चालक	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 2 9,300-34,800 ग्रेड पे.4,200	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	6 वर्ष की नियमित सेवा वाले उन स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-1) में से जो बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
34. आशुलिपिक (ग्रेड-1)	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 2 9,300-34,800 ग्रेड पे.4,200	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति (i) 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक (ग्रेड-II) में से (ii) की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-II में से, जिनकी आशुलिपिक ग्रेड-II एवं आशुलिपिक ग्रेड-(III) में कुल सेवा 10 वर्ष की हो प्रतिनियुक्ति: केन्द्र/राज्य सरकार/सावर्जनिक उपक्रमों के उन अधिकारियों में से	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं	

	जो पे.बैंड 2 में 9,300-34,800 स्केल में 4,200 ग्रेड पे. के साथ 5 वर्ष का अनुभव रखते हो अथवा सदृश्य पद पर 3 वर्ष का कार्यानुभव रखते हों ¹ (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)			
--	--	--	--	--

असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
(विज्ञापन III/4/असा./153/12)

नोट: (I) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग लाहल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को प्रदान की गई आवेदन पत्र की अंतिम प्राप्ति की अंतिम तिथि आयु निर्धारण के लिए विचारणीय नहीं होगी।

(II) रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों हेतु आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा जाएगा।